

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार  
शिक्षा निदेशालय, पुराना सचिवालय, दिल्ली  
विधायी कार्य शाखा/प्रश्न कक्ष

संख्या: डी.ई.-25 (13)/313/वि.कार्य/2018-19/1481-82

दिनांक - 21.08.19

सेवा में,

उप सचिव (प्रश्न कक्ष)  
दिल्ली विधान सभा सचिवालय,  
पुराना सचिवालय, दिल्ली-110054।

विषय:- विधानसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 09 दिनांक 22.08.2019 के सन्दर्भ में।

महोदय,

आपके द्वारा प्रेषित उपरोक्त विधान सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 09, जो कि दिनांक 22.08.2019 के लिए सूचीबद्ध किया गया है, का उत्तर सक्षम प्राधिकारी के पूर्वानुमति से आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जाता है।

संलग्नक :- उपरोक्तानुसार

भवदीय,




(एस.सी. मीणा)

उप शिक्षा निदेशक, (विधायी कार्य शाखा)

संख्या: डी.ई.-25 (13)/313/वि.कार्य/2018-19/1481-82

दिनांक - 21.08.19

प्रतिलिपि:- निदेशक, सूचना एवं प्रचार विभाग, दिल्ली सरकार, पुराना सचिवालय, दिल्ली -110054 (150 प्रतियाँ)।



(एस.सी. मीणा)

उप शिक्षा निदेशक, (विधायी कार्य शाखा)

विभाग का नाम :- शिक्षा विभाग

विभाग का पता :- पुराना सचिवालय, दिल्ली - 110054

अतारांकित प्रश्न संख्या :- 09

दिनांक :- 22.08.2019

प्रश्नकर्ता का नाम :- श्री सुरेन्द्र सिंह

क्या उपमुख्यमंत्री/मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :-

क्रम संख्या	प्रश्न	उत्तर
क)	दिल्ली छावनी के अंतर्गत दिल्ली सरकार के द्वारा दिल्ली सरकार के स्कूलों में कितने कमरों का निर्माण करवाया गया;	प्रथम चरण में दिल्ली छावनी के किसी भी स्कूल में नये कमरों का निर्माण नहीं हुआ है। द्वितीय चरण में सर्वोदय कन्या विद्यालय, दिल्ली कैम्प में 16 समकक्ष कमरों का निर्माण कार्य जारी है।
ख)	सर्वोदय सह शिक्षा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, महाराम नगर, दिल्ली कैंट स्कूल को मॉडल स्कूल बनाने का कार्य कब तक शुरू कर दिया जाएगा और कितने नए कमरों का निर्माण किया जाएगा, सम्पूर्ण जानकारी उपलब्ध करवाई जाए;	इस विद्यालय को मॉडल (पायलट) स्कूल बनाने का अभी वर्तमान में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।
ग)	क्या यह सत्य है कि एलएंडडीओ ने दिल्ली सरकार, शिक्षा विभाग को मोती बाग, रिंग रोड पर स्कूल बनाने के लिए जमीन आबंटित की गई है;	जी हाँ।
घ)	यदि हाँ तो स्कूल बनाने का कार्य कब तक शुरू कर दिया जाएगा; और	इस जमीन के निशानदेही हेतु पत्र एल. एण्ड डी. ओ. को भेजा जा चुका है। उसके उपरान्त आगे की कार्रवाई की जाएगी।
ड0)	क्या यह सत्य है कि सी. बी. नारायणा में वॉटर बाडी पर पीडब्लूडी की जमीन है;	ऐसी किसी जमीन का ब्यौरा /दस्तावेज शिक्षा निदेशालय में उपलब्ध नहीं है।
च)	यदि हाँ, तो क्या यह भी सत्य है कि क्षेत्रीय विधायक के प्रस्ताव पर इस भूमि पर स्कूल बनवाने की योजना सरकार के विचाराधीन है; और	
छ)	यदि हाँ, तो इस योजना का पूर्ण विवरण क्या है?	

DDE (LW)  
Dte. of Education  
G.N.C.T. of Delhi